



Neutral Citation No-2026:AHC:1789

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4708 वर्ष 2025

रोहित याचिकाकर्ता

बनाम

चकबंदी अधिकारी, जहानागंज और एक अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दीपक सिंह यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों के लिए:-

"i) अधिकारी की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, प्रतिपक्षी संख्या-1/चकबंदी जहानागंज, जिला आजमगढ़ को आगे बढ़ने और याचिकाकर्ता द्वारा 04.07.2019 को दायर रिकॉल/बहाली आवेदन पर निर्णय लेने के लिए केस संख्या-(ख) माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अल्प अवधि के भीतर (क) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 9 (केए) 2 के तहत आर42, 43 (राज्य बनाम जगमोहन) के मामले में मौजा भुझी, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ के समक्ष शीघ्रता से लंबित है।

II) ऐसे अन्य और आगे या निर्देश पारित करना जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उपयुक्त समझे।

III) इस रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में देने के लिए।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत आवेदन को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, दिनांक 26.06.2019 के आदेश द्वारा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उक्त आदेश से व्यथित होने के बाद, प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने एक बहाली आवेदन दायर किया है, जो इसे दाखिल करने की तारीख यानी 04.07.2019 से विचाराधीन है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिपक्षी पहले ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुका है।

4. स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त बहाली आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि चकबंदी अधिकारी, जहानागंज, जिला आजमगढ़ (प्रतिपक्षी संख्या-1), जिसके समक्ष उपरोक्त बहाली आवेदन विचाराधीन है, कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, शीघ्रता से विचार करेगा और निर्णय लेगा।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 6, 2026

नीतू

(दिनेश पाठक)